

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

क्रमांक B/1406 // आदेश //  
जबलपुर, दिनांक २५/०२/२०२२

श्री मुन्नालाल पाठक, सेवानिवृत्त ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्र. सी-३-१२/२०११/३/एक भोपाल, दिनांक ०३.०९.२०११ के कंडिका ८ में निहित निम्न शर्तों के अधीन जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट के रिक्त पद के विरुद्ध आगामी ६ माह की अवधि अथवा जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट की नियमित भर्ती होने की अवधि तक (जो भी पहले हो), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :—

1. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजार्ड वेतन देय होंगा।
2. एकजार्ड वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस संविदा वेतन पर किसी प्रकार का मंहगार्ड भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. पेंशन प्रथक से प्राप्त करने की पात्रता होंगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होंगी।
4. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन/अधिपत्य की पात्रता नहीं होंगी, उन्हें केवल पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता देय होंगा। संविदा नियुक्ति के समय यदि उसके नाम से शासकीय आवास आवंटित होगा या अधिपत्य में होंगा तो उसे शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही संविदा नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
6. अस्थार्ड शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होंगी।
7. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होंगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, १९६५ लागू होंगे।
9. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से ४५ दिन तक प्रभावशील होंगा। इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।

प्रमोद कुमार अग्रवाल २२-२२  
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सर्तकता)

//2//

पृष्ठांकन क्रमांक.....B/1407..../

जबलपुर, दिनांक 25/02/2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके ज्ञापन दिनांक 01.09.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ,
  2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर मध्यप्रदेश
  3. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1, 2 एवं 3/डी.ई./आई.एल./ई/पी.पी.एस./एक्जाम एवं लेबर ज्यूडीशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  4. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु,
  5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर,
  6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
  7. ओ.एस.डी—कम—पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
  8. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्था.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
  9. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), लेखा/बजट/पेंशन/गोपनीय, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
  10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
  11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सतर्कता/न्यायिक/(परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  12. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  13. उपस्थिति लिपिक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  14. श्री मुन्नालाल पाठक, सेवानिवृत्त ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

—  
प्रियदर्शन अमरा  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)